न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 13/2014/अपील

शीशराम पुत्र स्व. संतोष आयु व्यस्क पुत्री स्व. सालगराम जाति जाट निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट

बनाम

1. जयराम | पुत्रगण सालगराम
2. शंकरलाल |
3. बलराम |
4. श्रवणी पत्नी सालगराम
5. तीजा | पुत्रियां सालगराम
6. आंची |
7. सजना |
8. अनिता |

समस्त जाति जाट निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

9. ग्राम पंचायत, लामियां जरिये सरपंच, ग्रा.पं, लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 448 दिनांक 20.06.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट की ओर से
2. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील रेस्पो. सं. 1 ता 8 की ओर से

निर्णय दिनांक– 16.06.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कैरपुरा प.मं. लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख.नं. 12/2, 13, 14/1 किता 3 कुल रकबा 1.3750 अवस्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाना व रेस्पो. सं. 1 ता 6 के पिता व पति सालगराम के नाम दर्ज रही है। अपीलांट व रेस्पो. के पूर्वज सालगराम का सजरा खानदान इस प्रकार है–

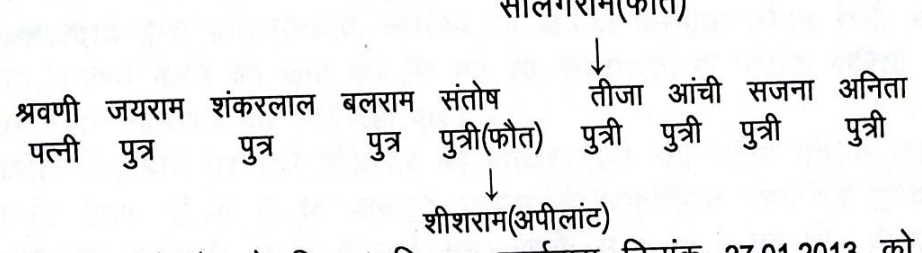

रेस्पो. के पिता/पति का स्वर्गवास दिनांक 27.01.2013 को हो गया। रेस्पो. के पिता/पति सालगराम के 5 पुत्रियां व 3 पुत्र तथा उसकी पत्नी उसके

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

विधिक वारिस थे। अपीलांट की मां संतोषदेवी पुत्री सालगराम की मृत्यु अपने पिता सालगराम से पूर्व ही हो चुकी है तथा अपीलांट स्व. संतोष का प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियां भी अपने पिता की संपति में पुत्र के बराबर हकदार होती है तथा अगर पुत्री का स्वर्गवास हो जाता है तो पुत्री का पुत्र उसके स्थान पर विधिक वारिस है तथा संपति में अपनी मां के स्थान पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार अपीलांट को भी सालगराम की संपति में प्राप्त है। रेस्पो. सं. 1 ता 8 ने सालगराम की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ ग्राम पंचायत, लामियां के यहां वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपील की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों का ना.करण्रा अपने पक्ष में अंकित करवा लिया तथा उसमें संतोष के वारिस जो कि स्वं. अपीलांट है, का नाम नहीं लिखा। जिस पर रेस्पो. सं. 8 ने ना. करण निरस्त करने का नोट भी लगाया लेकिन इसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त कार्यवाही बाला बाला की तथा उक्त विवादास्पद ना.करण को केवल सक्षम न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। उक्त ना. करण विधि विरूद्ध है। अपीलांट स्व. सालगराम की पुत्री का पुत्र है इसलिए सालगराम की संपति में रेस्पो. के साथ स्वयं भी प्रथम श्रेणी का वारिस होने का अधिकार रखता है। पटवार हल्का लामिया व हल्का गिरदावर खाटूश्याजी ने भी स्व. सालगराम के वारिसों की विधिवत जांच नहीं की है तथा बिना जांच किये ही ना.करण भकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर दिया जो विधि विरूद्ध है। इसलिए उक्त न.करण निरस्त योग्य है। अपील की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के उक्त विवादग्रस्त ना.करण का ज्ञान रेस्पो. ने अपीलांट को कभी नहीं होने दिया। 4–5 दिन पूर्व जब अपीलांट ने रेस्पो. से कहा कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलांट का भी हक है तथा उसका स्व. सालगराम के स्थान पर ना.करण खुलवा लेते है तब रेस्पो. पहले तो आश्वासन देते रहे तथा बाद में मना कर दिया तथा कहा कि हम अपने हिसाब से करवा देंगे। इस पर अपीलांट दिनांक 04.03.2014 को हल्का पटवारी के पास गया तथा राजस्व रिकार्ड की जानकारी चाही तो अपीलांट को उक्त विवादित ना.करण की जानकारी प्राप्त हुई। तब अपीलांट ने पटवारी हल्का लामियां के यहां दिनांक 04.03.2014 को उक्त विवादग्रस्त ना.करण की नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी अपीलांट को दिनांक 07.03.2014 को प्राप्त हुई। जिसके लिए प्रार्थी मियाद अधिनियम का शपथ पत्र भी अलग से प्रस्तुत कर रहा है। वैसे भी अवैध व प्रभावशून्य ना.करण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पटवार हल्का लामिया के यहां नकल आवेदन प्रस्तुत करने तथा दिनांक 07.03.2014 को नकल प्राप्त होने से अपील अंदर मियाद अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि ना.करण सं. 448 दिनांक 20.06.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, लामियां को खारिज फरमाया जाकर रेस्पो. सं. 10 के यहां रिमाण्ड करने की कृपा करें कि वह स्व. सालगराम के विधिक वारिसों की जांच कर दुबारा ना.करण की कार्यवाही करें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 9 व 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं 1 ता 8 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह शेखावत हाजिर हुए।

उपखण्ड अधिकारी

3. अपीलार्थी व रेस्पो. सं. 1 ता 8 के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. के पिता/पति का स्वर्गवास दिनांक 27.01.2013 को हो गया। रेस्पो. के पिता/पति सालगराम के 5 पुत्रियां व 3 पुत्र तथा उसकी पत्नी उसके विधिक वारिस थे। अपीलांट की मां संतोषदेवी पुत्री सालगराम की मृत्यु अपने पिता सालगराम से पूर्व ही हो चुकी है तथा अपीलांट स्व. संतोष का प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियां भी अपने पिता की संपति में पुत्र के बराबर हकदार होती है तथा अगर पुत्री का स्वर्गवास हो जाता है तो पुत्री का पुत्र उसके स्थान पर विधिक वारिस है तथा संपति में अपनी मां के स्थान पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार अपीलांट को भी सालगराम की संपति में प्राप्त है। रेस्पो. सं. 1 ता 8 ने सालगराम की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ ग्राम पंचायत, लामियां के यहां वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपील की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों का ना.करण्रा अपने पक्ष में अंकित करवा लिया तथा उसमें संतोष के वारिस जो कि स्व. अपीलांट है, का नाम नहीं लिखा। जिस पर रेस्पो. सं. 8 ने ना.करण निरस्त करने का नोट भी लगाया लेकिन इसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त कार्यवाही बाला बाला की तथा उक्त विवादास्पद ना.करण को केवल सक्षम न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। उक्त ना. करण विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.03.2014 को पटवार हल्का लामिया के यहां नकल आवेदन प्रस्तुत करने तथा दिनांक 07.03.2014 को नकल प्राप्त होने से अपील अंदर मियाद अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि ना.करण सं. 448 दिनांक 20.06.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, लामियां को खारिज फरमाया जाकर रेस्पो. सं. 10 के यहां रिमाण्ड करने की कृपा करें कि वह स्व. सालगराम के विधिक वारिसों की जांच कर दुबारा ना.करण की कार्यवाही करें। इसके विपरीत वकील रेस्पो. ने अपील स्वीकार किये जाने में बहस के दौरान कोई अपील आपतिया व्यक्त नहीं की गई।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा अपील के साथ विलम्ब को कण्डोन करने हेतु आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपति प्रस्तुत नहीं करने से आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिस है। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पो. सं. 1 ता 8 द्वारा भी विधिक आपतियां व्यक्त नहीं की गई है। ग्राम पंचायत, लामियां द्वारा ना.करण सं. 448 इस आधार पर खारिज किया गया है कि मृतक सालगराम के सभी वारिसान में से संतोष के पुत्र को वारिस में शामिल नहीं किय गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलांट मृतक सालगराम का विधिक वारिस है जिसके नाम विरासत का ना.करण भी भरा जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, लामियां द्वारा ना.करण सं. 448 सही खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 448 दिनांक 20.06.2012 द्वारा ग्राम पंचायत, लामियां की पुष्टि की जाकर प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

सालगराम के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः ना.करण भरवाकर तस्दीक करावें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 16.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दांतारामगढ़